मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XVII अंक 6 सितंबर 2021

एमसीआईआर

आज़ादी का अमृत महोत्सव

विषयवस्तु

खंड	पृष्ठ
I. विनियमन	1
II. भुगतान और निपटान प्रणाली	2
III. विदेशी मुद्रा विभाग	3
IV. सरकार का बैंकर	3
V. रिज़र्व बैंक उच्च प्रबंधतंत्र का भाषण	3
VI. आरबीआई बुलेटिन	4
VII. जारी आंकड़े	4

संपादक से नोट

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा सितंबर महीने के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके एक्सेस किया जा सकता है।

संचार के इस साधन के माध्यम से हम तथ्यात्मक सटीकता और जानकारी के प्रसार में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सूचना को साझा करने, प्रशिक्षित करने और संपर्क में बने रहने का लक्ष्य रखते हैं।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. विनियमन

द्विमासिक मौद्रिक नीति घोषणा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 9 सितंबर 2021 को वृहत् एक्सपोज़र ढांचा (एलईएफ) सीमा की गणना हेतु भारत में विदेशी बैंक शाखाओं के प्रधान कार्यालय (विदेशी शाखाओं सहित) के सकल एक्सपोजर को ऑफसेट करने के लिए विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं को नकद/भार-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों की गणना क्रेडिट जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) के रूप में करने की अनुमति दी है, जोकि निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

i) इस प्रकार धारित राशि अन्य विनियामकीय और सांविधिक आवश्यकताओं से अधिक होगी और सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित की जाएगी।

ii) इस प्रकार धारित राशि को विनियामकीय पूंजी में शामिल नहीं किया जाएगा। (अर्थात, धारा 11(2) के तहत रखे गए फंड की पूंजी और सीआरएम दोनों के रूप में दोहरी गणना नहीं की जाएगी)। तदनुसार, बैंक की पूंजी पर्याप्तता का आकलन करते समय, राशि सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी में किए गए विनियामकीय समायोजन का हिस्सा बनेगी।

iii) बैंक हर वर्ष 31 मार्च को पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) को वचन पत्र प्रस्तुत करेंगे कि इस उद्देश्य के लिए सीआरएम के रूप में गणना की गई शेष राशि को निरंतर आधार पर अनुरक्षित किया जाएगा।

iv) सीआरएम दिनांक 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र – बेसल III पूंजी विनियमावली, समय-समय पर यथा संशोधित, के पैराग्राफ 7 में निर्धारित सिद्धांतों/शर्तों के अनुसरण में होंगे।

बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 11(2)(बी)(i) के तहत धारित और सीआरएम के रूप में निर्धारित राशि का खुलासा अनुसूची 1: तुलन-पत्र में पूंजी में एक नोट के माध्यम से नीचे दिए गए अनुसार किया जाएगा:

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रमाणीकरण और पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन सीआरएम संबंधी आवश्यकताओं के बाद की अधिक राशि के आहरण की अनुमति दी जाएगी। एलईएफ सीमा के अनुपालन का दायित्व हर समय बैंक पर बना रहेगा।

इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने विदेशी बैंकों को अपने प्रधान कार्यालय (विदेशी शाखाओं सहित) पर डेरिवेटिव एक्सपोजर की गणना करते समय 1 अप्रैल 2019 से पहले निष्पादित डेरिवेटिव अनुबंधों को शामिल न किए जाने की अनुमति दी है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

ऋण एक्सपोजर का अंतरण

रिज़र्व बैंक ने 24 सितंबर 2021 को ऋण एक्सपोज़र के अंतरण पर मास्टर निदेश जारी किया, जिसमें ऋण एक्सपोज़र की बिक्री / अंतरण के मामले से संबंधित मौजूदा निदेशों को तत्काल प्रभाव से बदल दिया गया। रिज़र्व बैंक ने सभी ऋण देने वाली संस्थाओं को इन निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु सूचित किया है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण

रिज़र्व बैंक ने 24 सितंबर 2021 को मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण पर मास्टर निदेश जारी किया, जिसमें मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण पर मौजूदा निदेशों को तत्काल प्रभाव से बदल दिया गया। रिज़र्व बैंक ने सभी ऋण देने वाली संस्थाओं को इन निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु सूचित किया है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण लाइसेंस

रिज़र्व बैंक ने 13 सितंबर 2021 को गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी), भुगतान प्रणाली प्रदाता और भुगतान प्रणाली प्रतिभागी जो आधार प्रमाणीकरण लाइसेंस - केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसी (केयूए) लाइसेंस या उप-केयूए लाइसेंस (केयूए के माध्यम से प्रमाणीकरण करने के लिए), प्राप्त करने के इच्छुक हैं,को सूचित किया गया कि वे यूआईडीएआई को आगे जमा

करने के लिए अपना आवेदन विनियमन विभाग (डीओआर) को प्रस्तुत करें। आवेदन cgmaml@rbi.org.in को ईमेल पर भी अग्रेषित किए जा सकते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

प्राथमिक यूसीबी द्वारा निवेश

रिज़र्व बैंक ने 20 सितंबर 2021 को प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निवेश पर समेकित और अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

पीसीए- यूको बैंक और आईओबी

8 सितंबर 2021 को रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया कि यूको बैंक को कतिपय शर्तों और निरंतर निगरानी के अधीन पीसीए प्रतिबंधों से बाहर कर दिया जाए। बीएफ़एस द्वारा यूको बैंक, जो आरबीआई के पीसीए ढांचे के तहत था, के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की गई। यह पाया गया कि 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकाशित उनके परिणामों के अनुसार, बैंक द्वारा पीसीए मानकों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। बैंक ने एक लिखित प्रतिबद्धता प्रदान की है कि वह निरंतर आधार पर न्यूनतम विनियामक पूंजी, निवल एनपीए और लीवरेज अनुपात के मानदंडों का पालन करेगा और आरबीआई को तैयार किए गए संरचनात्मक और प्रणालीगत सुधारों से अवगत कराया है, जो बैंक को इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद करेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

29 सितंबर 2021 को रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (आईओबी) को कतिपय शर्तों और निरंतर निगरानी के अधीन पीसीए प्रतिबंधों से बाहर कर दिया जाए। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफ़एस) द्वारा आईओबी, जो आरबीआई के पीसीए ढांचा के तहत था, के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की गई। यह पाया गया कि 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के प्रकाशित परिणामों के अनुसार, बैंक ने पीसीए मानकों का उल्लंघन नहीं किया है। बैंक ने एक लिखित प्रतिबद्धता प्रदान की है कि वह निरंतर आधार पर न्यूनतम विनियामक पूंजी, निवल एनपीए और लीवरेज अनुपात के मानदंडों का पालन करेगा और आरबीआई को तैयार किए गए संरचनात्मक और प्रणालीगत सुधारों से अवगत कराया है, जो बैंक को इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद करेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

II. भुगतान और निपटान प्रणाली

टोकनाइजेशन - कार्ड लेनदेन

रिज़र्व बैंक ने 07 सितंबर 2021 को कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइज़ेशन (सीओएफटी) सेवाओं की अनुमति देकर टोकनाइजेशन - कार्ड लेनदेन में निम्नलिखित वर्धन की घोषणा की। किए गए उपाय:

i) उपकरण-आधारित टोकनाइजेशन ढांचा को सीओएफ टोकनाइजेशन (सीओएफटी) तक भी विस्तारित किया जाए ।

ii) कार्ड जारीकर्ताओं को टोकन सेवा प्रदाता (टीएसपी) के रूप में कार्ड टोकनाइजेशन सेवाओं की पेशकश करने की अनुमति दी जाए ।

iii) टीएसपी द्वारा केवल उनके द्वारा जारी/उनसे संबद्ध कार्डों के लिए टोकनाइजेशन की सुविधा की पेशकश की जाएगी ।

iv) कार्ड डेटा को टोकनाइज करने और डी-टोकनाइज करने की क्षमता उसी टीएसपी में निहित होगी।

v) कार्ड जारीकर्ता द्वारा प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफए) सत्यापन की आवश्यकता के लिए स्पष्ट रूप से ग्राहक की सहमति के साथ कार्ड डेटा का टोकनाइजेशन किया जाएगा।

सभी भुगतान प्रणाली प्रदाताओं और भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने हेतु सूचित किया गया है:

i) 1 जनवरी 2022 से कार्ड जारीकर्ता और/अथवा कार्ड नेटवर्क को छोड़कर कार्ड लेनदेन / भुगतान शृंखला में कोई भी संस्था वास्तविक कार्ड डेटा को संगृहीत नहीं करेगी। पहले से संगृहीत ऐसे किसी भी डेटा को मिटा दिया जाएगा।

ii) लेनदेन पर नज़र रखने और / अथवा समाधान के उद्देश्यों के लिए, संस्थाएं लागू मानकों का अनुपालन करते हुए सीमित डेटा - वास्तविक कार्ड नंबर के अंतिम चार अंक और कार्ड जारीकर्ता के नाम - संगृहीत कर सकती हैं ।

iii) शामिल सभी संस्थाओं द्वारा उपर्युक्त के पूर्ण और निरंतर अनुपालन की जिम्मेदारी कार्ड नेटवर्क की होगी।

विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

विनियामक सैंडबॉक्स - तीसरा कोहार्ट

रिज़र्व बैंक ने 13 सितंबर 2021 को 01 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक पात्र संस्थाओं को एमएसएमई उधार विषय के आधार पर नियामक सैंडबॉक्स के तहत तीसरे कोहार्ट के लिए आवेदन विंडो खोलने की घोषणा की। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

त्वरित भुगतान प्रणालियों को जोड़ना

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) ने 14 सितंबर 2021 को अपने संबंधित त्वरित भुगतान प्रणालियों यथा, एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) और PayNow को जोड़ने के लिए एक परियोजना की घोषणा की। इस जुड़ाव को जुलाई 2022 तक परिचालन हेतु लक्षित किया गया है।

UPI-PayNow जुड़ाव दोनों त्वरित भुगतान प्रणालियों में से प्रत्येक के उपयोगकर्ताओं को अन्य भुगतान प्रणाली में शामिल होने की आवश्यकता के बिना पारस्परिक आधार पर तत्काल, कम लागत वाले निधि अंतरण करने में सक्षम बनाएगा।

UPI-PayNow जुड़ाव भारत और सिंगापुर के बीच सीमापारीय भुगतान के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और त्वरित, सस्ता और अधिक पारदर्शी सीमापारीय भुगतान को प्राथमिकता देने वाले जी20 की वित्तीय समावेशन के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। यह जुड़ाव एनपीसीआई इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (एनआईपीएल) और नेटवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (एनईटीएस) के पहले के प्रयासों पर आधारित है, जो भारत और सिंगापुर के बीच कार्ड और क्यूआर कोड का उपयोग करके भुगतान की सीमापारीय अंतर-संचालनीयता को बढ़ावा देता है और दोनों देशों के बीच व्यापार, यात्रा और विप्रेषण को आगे बढ़ाएगा। यह पहल भुगतान प्रणाली विजन दस्तावेज़ 2019-21 में उल्लिखित सीमापारीय विप्रेषण के लिए कॉरिडॉर और शुल्कों की समीक्षा करने के रिज़र्व बैंक के दृष्टिकोण के अनुरूप भी है।

यूपीआई भारत का मोबाइल आधारित, 'त्वरित भुगतान' प्रणाली है जो ग्राहकों को ग्राहक द्वारा बनाए गए वर्चुअल पेमेंट

एड्रेस (वीपीए) का उपयोग करके चौबीसों घंटे तुरंत भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है। इससे प्रेषक द्वारा बैंक खाता विवरण साझा करने का जोखिम समाप्त हो जाता है। यूपीआई व्यक्ति से व्यक्ति (पी2पी) और व्यक्ति से व्यापारी (पी2एम) भुगतान दोनों के लिए सहायक है और साथ ही यह उपयोगकर्ता को पैसे भेजने या प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

PayNow सिंगापुर की त्वरित भुगतान प्रणाली है जो सिंगापुर में भाग लेने वाले बैंकों और गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों (एनएफ़आई) के माध्यम से खुदरा ग्राहकों के लिए उपलब्ध पीयर-टू-पीयर निधि अंतरण सेवा को सक्षम बनाता है। यह उपयोगकर्ताओं को केवल अपने मोबाइल नंबर, सिंगापुर एनआरआईसी/एफ़आईएन, या वीपीए का उपयोग करके सिंगापुर में एक बैंक या ई-वॉलेट खाते से दूसरे बैंक में तत्काल धन अंतरित करने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

III. विदेशी मुद्रा विभाग

वैकल्पिक संदर्भ दर

रिज़र्व बैंक ने 28 सितंबर 2021 को अधिकृत डीलर श्रेणी- I बैंकों (एडी बैंकों) को लंदन इंटरबैंक ऑफ़र रेट (लिबोर) का इस्तेमाल बंद होने को देखते हुए निर्यात/आयात लेनदेन के संबंध में देय ब्याज के लिए बेंचमार्क दर से संबंधित मुद्रा में किसी अन्य व्यापक रूप से स्वीकृत / वैकल्पिक संदर्भ दर का उपयोग करने की अनुमति दी। रिज़र्व बैंक ने एडी बैंक को इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित सहभागियों को अवगत कराना सूचित किया। इस संबंध में अन्य सभी अनुदेश पूर्ववत रहेंगे। कृपया अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

माल और सेवाओं का निर्यात

रिज़र्व बैंक ने 08 सितंबर 2021 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2015 (जिसे इसके बाद 'मूल विनियमावली' कहा गया है) में संशोधन किया।

तदनुसार, मूल विनियमावली के अंतर्गत, विनियम 15 में, उप-विनियम 1 में, खंड (ii) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

"ii) अग्रिम भुगतान पर देय ब्याज, यदि कोई हो, की दर लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लिबोर) या मामले के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देशित किसी अन्य प्रयोज्य बेंचमार्क से 100 आधार अंक अधिक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए;"। कृपया अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

IV. सरकार का बैंकर

भारत सरकार के लिए अर्थोपाय अग्रिम(डब्ल्यूएमए) सीमा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से 27 सितंबर 2021 को निर्णय किया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 (अक्टूबर 2021 से मार्च 2022) की दूसरी छमाही के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा ₹50,000 करोड़ होगी।

जब भारत सरकार अर्थोपाय अग्रिम सीमा के 75 प्रतिशत का उपयोग करेगा तब रिज़र्व बैंक बाजार ऋणों को जारी कर सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के परामर्श से किसी भी समय, सीमा को संशोधित करने का लचीलापन अपने पास रखता है।

अर्थोपाय / ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर निम्नानुसार होगी:

i) अर्थोपाय अग्रिम: रेपो दर

ii) ओवरड्राफ्ट: रेपो रेट से दो प्रतिशत अधिक

कृपया अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

एसजीबी योजना - ग्राहकों की शिकायतों का निवारण

रिज़र्व बैंक ने 09 सितंबर 2021 को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के निवेशकों की ग्राहकों की शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया। शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

i) प्राप्तकर्ता कार्यालय (आरओ) के नोडल अधिकारी/यों अपने ग्राहकों के प्रश्नों/शिकायतों पर ध्यान देने के लिए संपर्क का पहला बिंदु होंगे।

ii) यदि समस्या का समाधान नहीं होता है, तो ग्राहक शिकायत के निवारण के लिए आरओ में एक एस्केलेशन मैट्रिक्स का उपयोग किया जाएगा।

iii) यदि शिकायत दर्ज कराने के एक महीने के भीतर आरओ से कोई जवाब नहीं प्राप्त होता है या निवेशक आरओ की प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है तो निवेशक भारतीय रिज़र्व बैंक से sgb@rbi.org.in पर संपर्क कर सकता है।

तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने एसजीबी पर समेकित प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों पर दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र आईडीएमडी.सीडीडी.2730/14.04.050/2019-20 के पैरा 18 में सभी आरओ के नोडल अधिकारियों का विवरण शामिल किया है। कृपया अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

V. रिज़र्व बैंक उच्च प्रबंधतंत्र का भाषण

दायित्वपूर्ण डिजिटल नवोन्मेष

श्री टी. रबी संकर, उप गवर्नर ने 28 सितंबर 2021 को ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में 'जिम्मेदार डिजिटल इनोवेशन' पर भाषण दिया। अपने भाषण में, उप गवर्नर ने वित्तीय सेवाओं के प्रावधान और वितरण को बदलने में फिनटेक द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने बताया की प्रसंस्करण गति ने लेनदेन के लिए लागत और समय को कम कर दिया है, और संचार गति ने यूपीआई और आईएमपीएस जैसी तेज

पेज 4 पर जारी...

आईएमएफ़ द्वारा विशेष आहरण अधिकार

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) ने 23 अगस्त 2021 को भारत को विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 12.57 बिलियन (नवीनतम विनिमय दर पर लगभग 17.86 बिलियन अमरीकी डालर के बराबर) का आवंटन किया है। 23 अगस्त 2021 को भारत की कुल एसडीआर धारिता अब एसडीआर 13.66 बिलियन (नवीनतम विनिमय दर पर लगभग 19.41 बिलियन अमरीकी डालर के बराबर) हो गई है। एसडीआर धारिता में यह वृद्धि 27 अगस्त 2021 को समाप्त सप्ताह के लिए प्रकाशित होने वाले विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर) आंकड़ो में परिलक्षित होगी।

एसडीआर धारिता किसी देश के एफईआर के घटकों में से एक है। आईएमएफ अपने सदस्यों को निधि में उनके मौजूदा कोटा के अनुपात में सामान्य एसडीआर आवंटित करता है। आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 2 अगस्त 2021 (23 अगस्त, 2021 से प्रभावी) को लगभग 456 बिलियन एसडीआर के सामान्य आवंटन को मंजूरी दी थी, जिसमें से भारत का हिस्सा एसडीआर 12.57 बिलियन है।

...पेज 3 से जारी

भुगतान प्रणालियों की कनेक्टिविटी को बढ़ा दिया है। इसके अलावा, तात्कालिक संचार और बड़े डेटाबेस को संसाधित करने की क्षमता ने भी लेन-देन प्रमाणीकरण के लिए आधार के उपयोग को सक्षम किया है, जिसने बदले में बड़े पैमाने पर सरकारी अंतरण को तुरंत प्रभावित करना संभव बना दिया है। इससे यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिली है कि सरकारी लाभ लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे पहुंचे। श्री शंकर ने यह भी बताया कि एक अर्थव्यवस्था में बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं से संबंधित एक उदाहरण की सहायता से प्रौद्योगिकी की सीमाओं की सराहना करना क्यों महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी बताया की बीमा कंपनियों, पेंशन फंड और परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों जैसी संस्थाएं वित्तीय बाजारों में बैंकों द्वारा मध्यस्थता के विकल्प के रूप में महत्व की भूमिका रखती है।

श्री शंकर ने फिनटेक विनियमन पर भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि फिनटेक फर्मों द्वारा किए गए कार्यों में व्यापक विविधता के लिए नियामक परिधि के विस्तार की आवश्यकता होती है और विनियमन के दृष्टिकोण को भी विनियमित होने वाली इकाई के प्रकार के अनुकूल होने की आवश्यकता होती है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे गतिविधि आधारित विनियमन, इकाई-आधारित विनियमन से कम प्रभावी हो सकता है जब कोई बड़ी टेक फर्मों की वित्तीय गतिविधियों का निपटान कर रहा हो। पूरा भाषण पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

VI. आरबीआई बुलेटिन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 सितंबर 2021 का अपना मासिक बुलेटिन जारी दिया। बुलेटिन में दो भाषण, पांच आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। पांच आलेख हैं:

i) अर्थव्यवस्था की स्थिति

महामारी से पलायन वेग प्राप्त करने वाली अर्थव्यवस्था के लिए संभावनाएं उज्ज्वल हो रही हैं क्योंकि दूसरी लहर खत्म हो गई है और भविष्य के लिए तैयारी युद्ध-अलर्ट स्थिति जैसी बनी हुई है। कुल मांग मजबूत हो रही है, जबकि आपूर्ति पक्ष पर आईआईपी और मुख्य उद्योग औद्योगिक गतिविधि में सुधार को दर्शा रहे हैं और सेवा क्षेत्र के संकेतक निरंतर सुधार की ओर इशारा कर रहे हैं। मुद्रास्फीति का प्रक्षेपवक्र अपेक्षा से अधिक अनुकूल रूप से नीचे जा रहा है। जैसा-जैसे महामारी के निशान मिट रहे हैं और उत्पादकता लाभ के साथ आपूर्ति की स्थिति बहाल हो रही है, वैसे-वैसे मुख्य मुद्रास्फीति की निरंतर सहजता की उम्मीद की जा सकती है, जो मौद्रिक नीति के वृद्धि-समर्थक रुख को सुदृढ़ करेगी।

ii) क्षेत्रवार बैंक ऋण आबंटन में परिवर्तन: वर्ष 2007-08 से हुई प्रगति

सभी क्षेत्रों में ऋण आबंटन में विकसित पैटर्न महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसका आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन पर प्रभाव पड़ सकता है। यह आलेख वर्ष 2007-08 के बाद से बैंकों के उधार व्यवहार के साथ-साथ औद्योगिक और गैर-औद्योगिक क्षेत्रों (कृषि और संबद्ध गतिविधियां, सेवाएं और व्यक्तिगत ऋण खंड) के बीच ऋण आबंटन में परिवर्तन की जांच करता है। यह ऋण सुपुर्दगी और क्षेत्रवार ऋण उठाव पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव का अनुभवजन्य रूप से आकलन करता है।

iii) निजी कॉर्पोरेट निवेश: वर्ष 2020-21 में वृद्धि और वर्ष 2021-22 के लिए दृष्टिकोण

इस आलेख में, निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा इंगित पूंजीगत व्यय कैपेक्स चरणबद्ध योजनाओं पर परियोजना प्रस्तावों के आंकड़ों के आधार पर सन्निकट अवधि के निजी निवेश दृष्टिकोण का आकलन किया गया है। नई घोषणाओं की कम संख्या और कम परियोजनाओं के पूरा होने से यह परिलक्षित हुआ कि मुख्य भारतीय निजी कंपनियों के निवेश के इरादे सुस्त बने रहे। आलेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि महामारी की अनिश्चितताओं ने 2020-21 के दौरान नई परियोजनाओं के लिए वहन-क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और प्रक्रियाधीन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में बाधा उत्पन्न की। 2021-22 में, नई परियोजनाओं की मांग पहले से ही प्रक्रियाधीन परियोजनाओं की प्रगति के साथ-साथ निजी निवेश दृष्टिकोण को आकार देगी।

iv) विकास पथ को दर्शाती - वित्तीय समावेशन योजना

वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) बैंकों को देश भर में, विशेष रूप से अछूते/ अल्प-पहुँच वाले क्षेत्रों में, वित्तीय समावेशन में सुधार के लिए एक योजनाबद्ध और सुनियोजित दृष्टिकोण रखने के लिए अधिकृत करती है।

v) भारत के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक

व्यापक, समावेशी और सतत विकास के लिए अधिक वित्तीय समावेशन (एफआई) महत्वपूर्ण है। इसलिए, एफआई को बढ़ावा देने के लिए की गई नीतिगत पहलों की प्रगति की प्रभावी निगरानी के लिए एफआई का एक उपाय आवश्यक है। 97 संकेतकों के आधार पर एक बहुआयामी समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-इंडेक्स) का निर्माण किया गया है, जो वित्तीय समावेशन की मात्रा को मापता है और उपलब्धता, पहुंच में आसानी, उपयोग, असमानता और सेवाओं में कमी, वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण के लिए उत्तरदायी है। यह आलेख 'पहुंच', 'उपयोग' और 'गुणवत्ता' आयामों, भार वितरण, चयनित संकेतकों के लिए वांछित लक्ष्य, और इन संकेतकों को एक समग्र सूचकांक में संयोजित करने की पद्धति के लिए संकेतकों के संदर्भ में FI-सूचकांक के निर्माण पर आधारित है। बुलेटिन पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

VII. जारी आंकड़े

सितंबर 2021 माह में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं:

	शीर्ष
1	उद्योग स्तर पर उत्पादकता को मापना - भारत केएलईएमएस (KLEMS) डेटाबेस
2	भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी), जून 2021
3	अप्रैल-जून 2021 के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन के स्रोत
4	भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी सांख्यिकी की विवरण पुस्तिका (हैंडबुक) 2020-21
5	म्युचुअल फंड कंपनियों की विदेशी देनदारियों और परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण – 2020-21
6	2021-22 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान भारत के भुगतान संतुलन की गतिविधियां
7	जून 2021 के अंत में भारत का बाह्य ऋण

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।